"कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (सी.एस.आर) के कार्यान्वयन, प्रभाव और रिपोर्टिंग" पर कार्यशाला

दिनांक 23 अगस्त, 2015 को सायं; 03:30 बजे से मर्चंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरी ऑफ इंडिया (कानपुर चैप्टर) के संयुक्त तत्वाधान में "कॉपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलटी (सी.एस.आर) के कार्यान्वयन, प्रभाव और रिपोर्टिंग" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया | उद्घाटन समारोह में सी.एस.अंकुर श्रीवास्तव, अध्यक्ष, आई.एस.एस.आई., कानपुर चैप्टर, ने आये हुए मुख्य अतिथि सी.एस- निसार अहमद, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरी ऑफ इंडिया, 2012 एवं अन्य अतिथियो का स्वागत किया और सी.एस.आर एक्ट, के सेक्शन (135) के बार में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया | उन्होंने कहा कि यह गोष्ठी कोपोरेट्स को सी.एस.आर-एक्ट के प्रावधानो के बारे में जागरुक बनाने के लिए संचालित की गयी है | डॉ. इंद्र मोहन रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने वक्ताओं, मर्चंट्स चैम्बर के सदस्यों, मीडिया

डॉ. अवध दुबे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ने सी.एस.सार. एक्टिविटी को दूर तक पहुचाने के लिए अपनी खुशी जाहिर की |

के प्रतिनोधियों का स्वागत किया और कहा कि हम लोगों का ज्ञान सी.एस.आर. एक्ट के बारे में काफी कम है

इसलिए उन्होंने सी.एस.आर. एक्ट के प्रावधानों को जानने एवं समझने के लिए आग्रह किया |

सी.एस.- निसार अहमद, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरी ऑफ इंडिया, 2012, ने सी.एस.आर-एक्ट, सेक्शन 135 के प्रावधानों के में विस्तार से बताया | उन्होंने कहा की ऐसी कोई भी कंपनी जिसका बीते हुए 3 वित्त-वर्ष में यदि पेड-उप कैपिटल रु. 500 करोड़ या टर्नओवर रु.1000 करोड़ या शुद्ध लाभ रु. 5 करोड़ हो, तो वह कंपनी सी.एस.आर. एक्ट के लिये योग्य होगी | सेक्शन 135 के अंतर्गत योग्य कम्पनी को एक सी.एस.आर समिति कम से कम 3 निदेशको के अंतर्गत बनानी होती है, जिसमे 1 स्वतंत्र निदेशक होता है | यह समिति उन सी.एस.आर एक्टिविटीज को चुनती है जो सी.एस.आर एक्ट के स्केड्यूल (7) के अंतर्गत पंजीकृत है | और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचित करती है की कौन सी एक्टिविटीज को कंपनी सी.एस.आर. के लिए अपनाना चाहती है |

सी.एस.आर एक्टिविटी के लिए विगत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% सी.एस.आर एक्टिविटी के लिये खर्च किया जाना चाहिये | यह एक्टिविटी सेक्शन (8), कंपनी या समाज के विश्वास पर खरा उतरना चाहये | उन्होंने पुनः सूचित किया कि यह अधिनियम कम्पनी की सी.एस.आर. एक्टिविटी को स्वीकृति प्रदान करता है और आई.टी. (इनकों टैक्स) रिटर्न में यह व्यय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता |

यदि कंपनी ने 80(G) के अंतर्गत दान किया है तो इनकम टैक्स के अंतर्गत छूट का प्रावधान है लेकिन यह सी.एस.आर. व्यय के अंतर्गत नहीं मान्य होगी | यदि सी.एस.आर. का व्यय 2% से अधिक है (जैसा की अधिनियम में दिया गया है) तो 2% से अधिक का व्यय इनकम टैक्स के लिए क्लेम किया जा सकता है |

सी.एस.- निसार अहमद, के अनुसार सी.एस.आर. पर व्यय कर देने मात्र से ही हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, वरन इसका वर्णन बैलेंस शीट में भी होना आवश्यक है और इसको एक नोट के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए |

यह कार्यशाला बहुत उपयोगी थी और सी.एस.आर. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया |

उपस्थित गणमान्यः श्री ऐ.के.सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., डॉ. आर.जी.बागला, श्री बी.के. गुप्ता, सी.एफ.ओ., किंग्स इन्टरनेशनल, एवं श्री संजय गुप्ता, एवं मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरी ऑफ इंडिया के सदस्य उपस्थित थे |

धन्यवाद